

मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु

आवेदन प्रपत्र

नि: शुल्क

क्रमांक :

1. आवेदक / आवेदिका का नाम -
2. पिता / पति का नाम -
3. पता—मकान सं. - ग्राम / मुहल्ला -
पंचायत / वार्ड - प्रखण्ड / अंचल (शहर) -
जिला -
4. भतदाता पहचान पत्र -
5. आधार संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. बैंक खाता संख्या -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. बैंक का नाम - 8. IFSC CODE -
9. कोटि - सामान्य / अनु. जाति / अ.ज.जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग -
10. आयु -

--	--

 11. आवेदक का पहचान चिह्न -
12. लाभुक का मोबाइल नंबर -

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Photo

संलग्न प्रमाण पत्र



1. आयु प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

--	--
2. आधार कार्ड की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति अथवा आधार नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।

--	--
3. 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक की भतदाता पहचान पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

--	--
4. बैंक खाता का पासबुक की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति।

--	--
5. अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 50 से 59 वर्ष के आवेदक (पुरुष) का जाति प्रमाण पत्र।

--	--
6. पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र

घोषणा :— मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सत्य हैं। मैं इस प्रखण्ड / अंचल का / की स्थायी निवासी हूँ। मुझे केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजनान्तर्गत किसी भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है।

तिथि :—

आवेदक / आवेदिका का ह. / अंगुठा का निशान

पावती रसीद

1. आवेदक / आवेदिका का नाम -
2. पिता / पति का नाम -
3. पता—मकान सं. - ग्राम / मुहल्ला -
पंचायत / वार्ड - प्रखण्ड / अंचल (शहर) -
जिला - मो. नंबर -

पंजी का नाम :

क्रमांक :

तिथि :—

अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर

नोट : अप्राप्त कागजातों की सूचना प्रविष्टि के समय प्रखण्ड कार्यालय द्वारा Call या SMS के माध्यम से मोबाइल नं. पर दी जायेगी।
प्रविष्टि पश्चात् NSAP-PPS पोर्टल का Application No. भी Call या SMS के माध्यम से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

सत्यापन प्रतिवेदन

(II) आवेदक / आवेदिका मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं।

इनकी उम्र वर्ष है।

आवेदक / आवेदिका द्वारा दिये गये दस्तावेज की जाँच की गई और जांच में इनका दस्तावेज सही पाया। आवेदक / आवेदिका द्वारा पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र समर्पित किया गया है। अतः संकल्पानुसार मैं इनके पेंशन की स्वीकृति की अनुशंसा करता / करती हूं। (अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख करेंगे।)

(.....)

जांच पदाधिकारी का पदनाम एवं हस्ताक्षर

आवेदक / आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जांचोपरान्त उन्हें मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत TSP/OSP/SCSP में पेंशन की स्वीकृति दी जाती है।

आवेदक / आवेदिका द्वारा दी गई उपर्युक्त विवरणी के जांचोपरान्त निम्नांकित कारणों से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

स्वीकृति संख्या एवं तिथि –

स्वीकृत / अस्वीकृत

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी।

NSAP-PPS पोर्टल पर उपर्युक्त लाभुक की प्रविष्टि कर दी गई है। पोर्टल पर इनका Sanction Order No.-..... है।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी / अंचल अधिकारी।

स्वघोषणा पत्र

पेंशन आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला घोषणा पत्र

मैं आवेदक/आवेदिका का नाम –पिता/पति का नाम –

उम्र पता—ग्राम/मु. पो. थाना –

पंचायत/वार्ड नं.— प्रखण्ड/अंचल – जिला –

एतद द्वारा निम्न बिन्दुओं के होने की घोषणा करता/करती हूँ कि :— मोबाइल नं. –

- a) मैं या मेरी पत्नी/मेरा पति, केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित/सेवानिवृत्त और पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त नहीं करता/करती हूँ।
- b) मैं आयकर अदा करने वाले परिवार से संबंध नहीं रखता/रखती हूँ।
- c) मैं, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पूर्व से नहीं प्राप्त कर रहा/रही हूँ।

नोट :- उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। किसी भी तरह की असत्यता पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेवार होऊँगा/होऊँगी एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई पेंशन की राशि पूर्ण रूप से ब्याज सहित वसूलनीय होगी।

आवेदक/आवेदिका/घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

यदि आवेदक /आवेदिका दिव्यांग /विधवा हैं तो अन्य वांछित सूचनाएं –

दिव्यांगजन एवं विधवा आवेदक के लिए वांछित सूचना

1. क्या आवेदिका विधवा है ? (उल्लेख करें) –
2. क्या आवेदक /आवेदिका दिव्यांग है ? (हाँ / नहीं) –
3. दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता का प्रकार – (शारीरिक / मानसिक / दृष्टिगत / मूक-बधिर / अन्य) –
4. दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता का प्रतिशत –

संलग्न प्रमाण पत्र

1. विधवा रहने पर आवेदिका के पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति |
2. दिव्यांग रहने पर दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र { आवेदक Rights of Persons With Disabilities Act, 2016 Section-2 (r) के अनुसार benchmark disability (न्यूनतम 40% दिव्यांगता) अथवा Section-2 (s) "person with disability" अथवा Section-2 (t) "person with disability having high support needs" अथवा Section-2 (zc) "specified disability" की श्रेणी में आता हो } की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति |

महत्वपूर्ण निर्देश

लाभार्थी हेतु पात्रता

- a) राज्य की महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 50 वर्ष तथा शेष वर्गों के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 60 वर्ष है।
- b) 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक का मतदाता पहचान पत्र हो।
- c) आवेदक का आधार कार्ड हो।
- d) आवेदक स्वयं या पत्नी / पति, केंद्र एवं राज्य सरकार अथवा केंद्रीय / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित / सेवानिवृत्त और पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाला नहीं होना चाहिए।
- e) आयकर अदा नहीं करने वाले परिवार।
- f) आवेदक के परिवार से तात्पर्य है – पति / पत्नी, नाबालिंग बच्चे, दिव्यांग बच्चे।

आवेदन प्रक्रिया

आवेदक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में संबंधित अंचल अधिकारी के कार्यालय में आवेदन समर्पित करेंगे जिसके साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करनी आवश्यक होंगी।

- a) 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक की मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति।
- b) आधार-कार्ड की छायाप्रति अथवा आधार कार्ड नहीं होने पर इस आशय का स्वघोषणा पत्र।
- c) बैंक खाता का पासबुक की छायाप्रति।
- d) पात्रता संबंधी स्वघोषणा पत्र।
- e) आयु प्रमाण पत्र संबंधी स्वअभिप्रमाणित कोई भी दस्तावेज।
- f) अनुसूचित जनजाति (ST) एवं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के 50 से 59 वर्ष के आवेदक (पुरुष) का जाति प्रमाण पत्र।

नोट : – स्वीकृति संबंधी सूचना NSAP-PPS पोर्टल <https://nsap.nic.in/applicationTrack1.do?methodName=showStatus> पर देखा जा सकता है।